Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

तहसील विधिक सेवा समिति, आष्टा,
जिला सीहोर (म0प्र0)
लोक अदालत, 2022 दिनांक 12 मार्च 2022

खण्डपीठ कमांक– 17

म.प्र.राज्य विरूद्ध सोनू
(आपराधिक प्रकरण क –824/2019)

12.03.2022

प्रकरण आज लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत।

इसी स्तर पर सुलाहवर्ता हेतु जारी सूचना पत्र केपालन मे प्रकरण के फरियादी मुन्ना लाल स्वयं उपस्थित।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ।

अभियुक्त सोनू द्वारा श्री के.एल. जोशी अधिवक्ता।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत हैं।

फरियादी मुन्नालाल द्वारा 320 द.प्र.स. के अंतर्गत आवेदन पत्र मय आधार कार्ड की स्व प्रामाणित छायाप्रति एवं डॉकेट प्रस्तुत किया गया। उसने व्यक्त किया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया हैं। वह प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379 भा.द.स. के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये थे। राजीनामा आवेदन में फरियादी एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा होकर उभयपक्षों के मध्य कोई विवाद शेष न रहने, फरियादी द्वारा प्रकरण को आगे न चलाने के कारण प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

फरियादी मुन्नालाल द्वारा बिना किसी डर, भय, दबाव के स्वेच्छया शमन/राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया है। राजीनामा उभयपक्षों के हित में हैं। फरियादी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि उसे उसकी चार सोयाबीन की कट्टी कीमत 3,000/रूपये सुपुर्दगी पर वापस प्राप्त हो गई है।

मुन्नालाल

उक्त अपराध धारा–320 (1) द.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय की अनुज्ञा के बिना शमन योग्य हैं। फरियादी राजीनामा करने हेतु सक्षम है तथा 320 (1) की सारणी के तृतीय स्तम्भ में उल्लेखित व्यक्ति में सम्मिलित हैं। अतः उक्त आवेदन पत्र के प्रति अनुमति प्रदान करने का कोई औचित्य प्रकट नही होता हैं।

तदनुसार अभियुक्त सोनू को धारा 379 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वंतत्र किया जाता हैं।

प्रकरण मे जप्तशुदा सम्पति 04 खादय की बोरी जिसमें 25–25 किलो सोयाबीन भरा हुआ था, प्रत्येक बोरी के उपर नीले रंग से मुन्ना लाल लिखा है, आदेश दिनांक 19.11.2019 के पालन में सुपुर्ददार मुन्नालाल यादव पिता दरियाव सिंह यादव उम्र 60 वर्ष निवासी सांवत

C.J

Order Sheet [Contd]

Case No....................of 20....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	खेडी को सुपुदुर्गी पर प्रदान की गई थी। अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में भारमुक्त समझा जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पति का व्ययन किया जाए। अभियुक्त सोनू द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारहीन कियें जाते है। अभियुक्त सोनू रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान कुल 03 दिवस न्यायिक निरोध में रहा हैं। इस संबंध 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाए। प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार में प्रेषित किया जाए। श्री भूपेश जामलिया **(अधिवक्ता सदस्य)** — सुश्री आयुषी गुप्ता **(न्यायिकसदस्य)** — श्री संजय बंटू सोनी **(सामाजिक कार्यकर्ता)**	